भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1503
जिसका उत्तर बुधवार 23 सितम्बर, 2020 को दिया जाएगा

कर्नाटक में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी

1503 **श्री मल्लिकार्जुन खरगे:**

क्या उ**पभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 2020 के बाद कर्नाटक सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले लाए गए हैं जिनमें आवश्यक वस्तुओं जैसे आलू, चावल, दालों इत्यादि की अवैध जमाखोरी की गई है;
(ख) इन अवैध जमाखोरों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(घ) कर्नाटक राज्य में कितने लोगों को इस साल आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने के मामले में दोषी ठहराया गया है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क)और(ख): कर्नाटक की राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि चूंकि कोई स्टॉक सीमा का अधिरोपन नहीं किया गया है, इसलिए स्टॉक की अवैध जमाखोरी को देखते हुए उस पर कार्रवाई करने का कोई प्रश्न नहीं है। हालांकि अवैध रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के भंडारण/परिवहन के 200 मामले पाये गये और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मामले दर्ज किये गये। इन 200 मामलों में से 181 एफ.आई.आर. दर्ज की गई और 199 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।

(ग)और(घ): राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से आवधिक निरीक्षणों और औचक छापामारी के माध्यम से आवश्यक खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है। इस वर्ष के दौरान, अब तक आवश्यक वस्तुओं की अवैध जमाखोरी के लिए किसी व्यक्ति को दोषी करार नहीं दिया गया है।

*****